



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 2397 /SEIAA/22

Date: 26/12/22

प्रति,

मेसर्स एस. एम एक्सप्लोरेशन प्रा. लि.,
पता— बी.-1 /एफ-12 ,
मोहन कोआपरेटिव इन्डस्ट्रियल एस्टेट,
मथुरा रोड साउथ दिल्ली

विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/292597/2022 - प्रकरण क्र. 5669 / 2018 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जिगसन एलाएज प्रा. लि. निवासी – प्लाट न. 10 हाउस न. 762 तिलकनगर, धरमपेठ नागपुर जिला नागपुर (महाराष्ट्र.) द्वारा डोलोमाइट खदान (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड विधि) रकबा 4.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 51101 टन प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 278 ग्राम लोहानी, तहसील सौंसर जिला छिदवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स एस. एम एक्सप्लोरेशन प्रा. लि., पता— बी.-1 /एफ-12 , मोहन कोआपरेटिव इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड साउथ दिल्ली के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में डोलोमाइट खदान (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड विधि) रकबा 4.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 51101 टन प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 278 ग्राम लोहानी, तहसील सौंसर जिला छिदवाड़ा (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जिगसन एलाएज प्रा. लि. निवासी – प्लाट न. 10 हाउस न. 762 तिलकनगर, धरमपेठ नागपुर (महाराष्ट्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जिगसन एलाएज प्रा. लि. निवासी – प्लाट न. 10 हाउस न. 762 तिलकनगर, धरमपेठ नागपुर जिला नागपुर (महाराष्ट्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस. एम एक्सप्लोरेशन प्रा. लि., पता— बी.-1 /एफ-12 , मोहन कोआपरेटिव इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड साउथ दिल्ली (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
- II. नवीन परियोजना मेसर्स एस. एम एक्सप्लोरेशन प्रा. लि., पता— बी.-1 /एफ-12 , मोहन कोआपरेटिव इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड साउथ दिल्ली (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक


तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईए द्वारा पत्र क्र. 6274 /एसईआईए/2021 दिनांक 12.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति प्रस्तुत की गई।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. मध्यप्रदेश खनिज साधन विभाग मंत्रालय द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र 3369 /1388 /2021 /12 /2 दिनांक 01.08.2022 द्वारा 19.03.2010 से 18.03.2060 तक 50 वर्ष के लिये स्वीकृत है। शेष अवधि (18.03.2060 तक) की प्रति।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 6274 /एसईआईए/2021 दिनांक 12.02.2021 के माध्यम से मेसर्स जिग्सन एलाइंस प्रा. लि. निवासी - प्लाट न. 10 हाउस न. 762 तिलकनगर, धरमपेठ नागपुर जिला नागपुर (महाराष्ट्र.) के नाम पर डोलोमाइट खदान (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड विधि) रकबा 4.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 51101 टन प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 278 ग्राम लोहानी, तहसील सौंसर जिला छिदवाड़ा (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस. एम एक्सप्लोरेशन प्रा. लि., पता- बी.-1 /एफ-12, मोहन कोआपरेटिव इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड साउथ दिल्ली के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 12.02.2021 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।


अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र. 2398 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक : 20/12/22
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।

4. कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. मेसर्स जिगसन एलाइंज प्रा. लि. निवासी – प्लाट नं. 10 हाउस नं. 762 तिलकनगर, धरमपेठ नागपुर जिला नागपुर (महाराष्ट्र)।
10. खनिज अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।



(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी